प्रेस नोट **06/01/2025**

एक किसान द्वारा सूर्ती न देने पर फावडा से हमला करने वाला एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 06.01.2025 को थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जमीन सरौदा के पास से मु0अ0सं0 02/25 धारा 109, 352, 351(2) बीएनएस से संबंधित एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

बरामदगी–

1. एक अदद फावडा।

आवेदिका को फोन कर फर्जी पुलिस ऑफिसर बताकर डरा धमकाकर क्यूआरकोड भेजकर पेटीएम के द्वारा मंगवाया गया धनराशि 97,500 रुपये में से 52500 रुपये थाना कोतवाली नगर साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में साइबर अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्रि व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना साइबर क्राइम मऊ पर पंजीकृत अभियोग 18/2024 धारा 318(4), 351(4), बी.एन.एस व 66सी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना कोतवाली नगर साइबर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वादी के खाते से साइबर अपराधियों द्वारा फर्जी पुलिस ऑफिसर बताकर डरा धमकाकर वाट्सअप के माध्यम से क्यूआर कोड भेज कर पेटीएम से मंगवाये गये 97500 रूपयें। थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 06.01.2025 को बैंक मैनेजर के सहयोग से आवेदिका सादिया नसीम उपरोक्त के बैंक एकाउन्ट मे कुल 52500/- रुपये वापस कराया गया। साइबर अपराध से बचाव के लिए निम्न बातों का ध्यान रखें-किसी भी अन्जान व्यक्ति के साथ ओटीपी शेयर न करे, जालसाजो से सावधान रहे एवं किसी भी प्रकार का साइबर फ्राड होने पर साइबर हेल्प लाईन नम्बर 1930 या WWW.CYBERCRIME.GOV.IN पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराये।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।
2. निरीक्षक अपराध सोनू कुमार , थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ ।
3. कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड –ए नवनीत पाण्डेय, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

टेलीग्राम के माध्यम से फर्जी कम्पनी में पैसे लगाने के संबंध में कुल धनराशि 10,464 रुपये थाना कोपागंज साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना कोपगंज साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए वादी द्वारा टेलीग्राम

के माध्यम से फर्जी कम्पनी में जुडकर दिए गए टॉस्क को पुरा करता था, एक दो बार टॉस्क पुरा करने पर आवेदक को कुछ रुपये मिले इसी लालच में आकर आवेदक ने अपना रुपया लगाया जिसे फर्जी कम्पनी द्वारा सभी रुपये गबन कर लिया गया। जिसके संबंध में आवेदक ने साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज करायी । पीडित निलेश श्रीवास्तव पुत्र श्री सत्यप्रकाश श्रीवास्तव निवासी खुखुन्दवा थाना कोपागंज जनपद मऊ के कुल धनराशि 10,464 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना कोपागंज के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया । साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह थाना कोपागंज, नोडल अधि0 हरिकेश यादव, क0आ0 अभिजीत पटेल, का0 अंकित चौरसिया, म0आ0 उर्वशी शुक्ला थाना कोपागंज जनपद मऊ ।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 03-03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹15,000-15,000 के अर्थदंड से हुये दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 03-01-2025 को मु0अ0सं0 0028/1994 धारा 419/420/467/468/471/477 भादवि0 थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण रामजनम राम पुत्र देवनन्द राम निवासी सुसण्डी जनपद गाजीपुर, रामचन्द्र मिश्र पुत्र महादेव मिश्र निवासी कटसारी थाना कादीपुर जनपद सुल्तानपुर को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं ₹15,000-15,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के साधारण कारावास व ₹5,000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 06-01-2025 को मु0अ0सं0 168/2017 धारा 406 भादवि0 थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त अवधेश यादव पुत्र स्व0 मुखराम यादव निवासी शेखवलिया थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03 वर्ष के साधारण कारावास की

सजा एवं ₹5,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में अभियोजन अधिकारी श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।